भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2060

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

लोक स्वास्थ्य सुविधाएँ

2060. श्रीमती भारती पारधीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि जिला अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित अधिकांश लोक स्वास्थ्य सुविधाएं निर्धारित मानकों/मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं;
(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में हाल ही में कोई स्व-मूल्यांकन किया है;
(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और इसके परिणामस्वरूप राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश में कौन-कौन सी चुनौतियां सामने आईं;
(ङ) क्या देश भर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में एकरूपता लाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है; और
(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में विशेषकर ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में क्षेत्रवार अब तक क्या सफलता मिली है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, सरकार ने भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) 2022 निर्धारित किए हैं। आईपीएचएस आवश्यक मानक हैं जो जिला अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (एएएम-पीएचसी) और आयुष्मान आरोग्य मंदिर-उप केंद्रों (एएएम एससी) सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम आवश्यक सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करते हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के मूल्यांकन की सुविधा के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक ओपन डेटा किट (ओडीके) विकसित की है, जो एक एंड्रॉइड-आधारित एप्लिकेशन है। यह एप्लिकेशन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का आधारभूत मूल्यांकन करने, कमियों की पहचान करने और सभी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने और वांछित मानकों की दिशा में काम करने के लिए अनुपालन प्राप्त करके समय पर सुधारात्मक उपायों को लागू करने में समर्थ बनाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष रूप से शहरी, ग्रामीण और जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में गरीब और कमजोर वर्गों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके ऐसी समतापूर्ण, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने की परिकाल्पना की गई है, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हों।

दिनांक 27.11.2024 तक आईपीएचएस 2022 मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकित और अंकित सुविधा केंद्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** पर है।

फरवरी 2018 में, भारत सरकार ने दिसंबर 2022 तक देश भर में 1,50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) स्थापित करने की घोषणा की। एएएम पोर्टल में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, सार्वभौमिक, नि:शुल्क और समुदाय के निकट निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाओं सहित सेवाओं के 12 पूर्ण पैकेज के साथ व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की विस्तारित रेंज की प्रदायगी के लिए 31.10.2024 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वर्तमान उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को बदल कर कुल 1,74,966 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं और इनका परिचालन शुरू हो गया है। 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार प्रचालित ए ए एम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुलग्नक II** में दी गई है ।

संचालित एएएम में उपलब्ध टेली-परामर्श सेवाएं लोगों को उनके घरों के नजदीक विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाती हैं, जिससे भौतिक पहुंच, देखभाल की लागत में बचत, सेवा प्रदाताओं की कमी और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने जैसी चिंताओं का समाधान होता है। 31.10.2024 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कुल 29.66 करोड़ टेली-परामर्श किए गए।

प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की शुरुआत 64,180 करोड़ रुपये की राशि से की गई थी। पीएम- एबीएचआईएम के तहत किए जाने वाले उपायों का उद्देश्य प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट सभी स्तरों पर देखभाल की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता

विकसित करना है, ताकि वर्तमान और भावी महामारियों/आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार किया जा सके।

यह मंत्रालय एनएचएम के तहत 'निःशुल्क निदान सेवा पहल' कार्यक्रम को सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य समुदाय के करीब सुलभ और सस्ती पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल निदान सेवाएं प्रदान करना है, जिससे जेब से होने वाले व्यय (ओओपीई) में कमी आती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के सभी स्तरों पर निदान सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं (उप-केंद्रों पर 14 परीक्षण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 63, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 97, उप-जिला अस्पतालों में 111 परीक्षण और जिला अस्पतालों में 134 परीक्षण)।

आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाले रोगियों की ओओपीई को कम करने के लिए, सरकार ने एनएचएम के तहत निःशुल्क दवा सेवा पहल शुरू की है। इसमें एसएचसी स्तर पर 106 दवाओं, पीएचसी स्तर पर 172 दवाओं, सीएचसी स्तर पर 300 दवाओं, एसडीएच स्तर पर 318 दवाओं और जिला अस्पतालों में 381 दवाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता शामिल है।

अनुलग्नक I

आईपीएचएस 2022 मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकित और स्कोर की गई सुविधा केंद्रों का विवरण (27.11.2024)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सुविधा केंद्रों की संख्या (एचडीआई 2022-23 के अनुसार)	मूल्यांकित सुविधा केंद्रों की संख्या	50% से अधिक अंक पाने वाले सुविधा केंद्रों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	157	140	63
आंध्र प्रदेश	13045	11788	11603
अरुणाचल प्रदेश	611	599	234
असम	5979	5731	2753
बिहार	12869	11389	1968
चंडीगढ़	55	52	31
छत्तीसगढ़	6543	4941	3220
दमन और दीव और दादर और नागर हवेली	118	117	86
गोवा	258	275	147
गुजरात	11431	10295	7738
हरियाणा	3362	2586	1213
हिमाचल प्रदेश	2888	2235	424
जम्मू और कश्मीर	3533	3026	1362
झारखंड	4477	3946	1000
कर्नाटक	12177	10958	5858
केरल	6721	6029	3789
लद्दाख	330	276	221
मध्य प्रदेश	12575	10641	5275
महाराष्ट्र	14150	13398	7411
मणिपुर	537	496	202
मेघालय	651	501	321
मिजोरम	458	464	254
नागालैंड	636	569	270
ओडिशा	8540	7693	5364
पुदुचेरी	137	102	43
पंजाब	3698	3771	1858
राजस्थान	17351	14451	5756
सिक्किम	186	162	149
तमिलनाडु	11300	9425	8174
तेलंगाना	5943	6072	5803
त्रिपुरा	1163	1166	890
उत्तर प्रदेश	30451	25316	9231
उत्तराखंड	2577	2102	310
पश्चिम बंगाल	14369	3958	2134
दिल्ली	615	393	122
लक्षद्वीप	19	7	7
भारत कुल (ग्रामीण+शहरी)	**209910**	**175070**	**95284**

अनुलग्नक- II

दिनांक 31.10.2024 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संचालित एएएम

क्रम सं.	राज्य का नाम	31.10.2024 तक संचालित कुल एएएम
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	129
2	आंध्र प्रदेश	11,862
3	अरुणाचल प्रदेश	485
4	असम	4,749
5	बिहार	10,330
6	चंडीगढ़	58
7	छत्तीसगढ़	5,848
8	डीएनएच और डीडी	95
9	गोवा	300
10	गुजरात	10,580
11	हरियाणा	3,229
12	हिमाचल प्रदेश	2,480
13	जम्मू और कश्मीर	3,091
14	झारखंड	3,921
15	कर्नाटक	9,949
16	केरल	7,002
17	लद्दाख	321
18	लक्षद्वीप	13
19	मध्य प्रदेश	11,867
20	महाराष्ट्र	11,962
21	मणिपुर	418
22	मेघालय	611
23	मिजोरम	403
24	नागालैंड	469
25	ओडिशा	7,358
26	पुदुचेरी	127
27	पंजाब	3,144
28	राजस्थान	11,293
29	सिक्किम	184
30	तमिलनाडु	8,246
31	तेलंगाना	5,038
32	त्रिपुरा	1,130
33	उत्तर प्रदेश	22,682
34	उत्तराखंड	2,199
35	पश्चिम बंगाल	13,393
कुल		**1,74,966**

*****